Mail

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क्र./नियमन/बी-6/जई(ओटस)/669/ 2456 भोपाल,दिनांक 07/03/2023

प्रति,

संयुक्त/उप संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय ....(समस्त)

विषयः-म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 2(1) (क) के तहत अनुसूची के शीर्ष "दो-धान्य" की अधीन नवीन मद 14 "जई" स्थापित करने के संबंध मे।

संदर्भः-मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 02 फरवरी 2023

संदर्भित अधिसूचना अंतर्गत राज्य सरकार मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन 1973) की धारा 2(1) (क) के तहत अनुसूची के शीर्ष "दो-धान्य" की अधीन नवीन मद 14 "जई" स्थापित करने के संबंध मे प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई है। जिसमे ऐसे समस्त व्यक्तियो की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये अपना प्रस्ताव प्रकाशित करती है और एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव पर इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से छः सप्ताह के अवसान होने पर विचार किया जायेगा सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।

अतः आपके अंचल की समस्त मण्डियो मे आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार

07/03/23
संयुक्त संचालक (नियमन)
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

C:\Users\Acer\Desktop\sandeep folder 2022-23\sandeep letter.doc